तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म की तामील
27/2/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.O. 39 R1&2 CPC के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण को adjudicate करने के लिये इन तीन 03 बिन्दुओ पर जाँचना आवश्यक है :- (1) प्रकरण प्रथम दृष्टया आर्थी० प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना के बिन्दुओ को दोहराते हुये कथन किया कि जमाबंदी संवत 2028-31 को खाता सं० 82 कुल किता 16 कुल रकबा 28-14 बीघा भूमि मोती, केसूराम, नंदा पिसरान मथुरालाल, गणपत, पूरा पिसरान हरलाल व मन्ना वल्द गोरीलाल के संयुक्त खाते मे दर्ज थी जिसमे तीनो का हिस्सा 1/3-1/3 दर्ज था सहखातेदार मोती, केसूराम व नंदा द्वारा अपना 1/3 भाग यानी 9-12 बीघा भूमि (ख०न० 380 रकबा 5 बीघा, 417 रकबा 0-14 बीघा, ख०न० 424 रकबा 0-13 बीघा, ख०न० 427 रकबा 3-05 बीघा, ख०न० 428 रकबा 0-03 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 9-15 बीघा) का बेचान पंजी० रजि० विक्रय पत्र दिनांक 23/03/1968 से लक्ष्मीनारायण, कंवरलाल पिसरान धीसा जाति कुल्मी को कर कब्जा सौंप दिया था और, तभी से क्रेता कब्जाकाश्त है। उक्त बेचान का ग्राम पंचायत दौलतखेड़ी द्वारा नामा० सं० 2 दिनांक 04/06/1970 निर्णीत किया गया। इसी प्रकार मथुरालाल के वारिसान द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 का रजिस्ट्री से बेचान कर देने के बाद शेष भूमि कुल किता [illegible] बीघा शेष सहखातेदार गणपत, [illegible] मन्ना वल्द गोरीलाल [illegible] और इस विक्रेता केसू, नंदा व मोती का कोई भी हक व अधिकार शेष नहीं रहा था। इसके बाद क्रेता खातेदार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

लक्ष्मीनारायण, कंवरलाल वल्द धीरा कुम्हार ने अपनी भूमि किता 5 रकबा 9-15 बीघा में से किता 04 कुल रकबा 4-15 बीघा का बैचान जर्ये रजि० विक्रय पत्र दिनांक 25/08/1970 को प्रार्थी मगनत, पूरा वल्द हरलाल सुथार को कर दिया जिसका बैचान नामान्तरण क्र० 09 दिनांक 26/10/1970 निर्णित हुआ, जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत 2032-35 में दर्ज है।

इसके बाद शामलाती भूमि (ख०न० 337 रकबा 0-02 बीघा, ख०न० 397 रकबा 1-12 बीघा, ख०न० 410 रकबा 3-04 बीघा, ख०न० 416 रकबा 1-08 बीघा, ख०न० 418 रकबा 0-08 बीघा, ख०न० 419 रकबा 18 बिस्वा, ख०न० 421 रकबा 1-01 बीघा, ख०न० 426 रकबा 0-16 बीघा, ख०न० 564 रकबा 6-05 बीघा, ख०न० 420 रकबा 1-01 बीघा व ख०न० 425 रकबा 2-04 बीघा कुल किता 11 रकबा 18-19 बीघा) में से सहखातेदार पुरा वल्द हरलाल (हिस्सा ¼) ने ख०न० 425 रकबा 2-04 बीघा, ख०न० 426 रकबा 0-16 बीघा, ख०न० 427 रकबा 3-05 बीघा, व ख०न० 428 रकबा 0-03 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 6-08 बीघा का बैचान जर्ये रजि० दिनांक 28/04/1987 प्रभूलाल (प्रार्थी 2) व रोडीबाई को कर कब्जा सौंप दिया था लेकिन नामान्तरण नहीं खुलने से भूमि जमाबंदी में आज भी पूरालाल का नाम दर्ज है। कैसल सेव क्यों भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 18-19 बीघा में पूरा का हिस्सा ¼ यानी 4-15 बीघा बनती थी फिर भी हिस्से से ज्यादा यानी [illegible] बीघा का बैचान [illegible]

इसके बाद भी केवल [illegible] दर्ज होने मात्र का [illegible] ख०न० 397, 410, 416, 421 व 425 कुल [illegible] 9-09 बीघा में से हिस्सा 1/6 का बैचान (केवल [illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म में ...
	दिनेश कुमार वल्द मदनलाल ब्राह्मण की कर दिया गयी क्रमशः विनिश्चित है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्ट्या व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। सोनी व नंदा वल्द मथुरालाल के खातेदार होने की ... चुके है। केवल मोती वल्द मथुरा व पूरा वल्द रतलाल वादग्रस्त भूमि में कानूनी रूप से कोई हक व अधिकार शेष नहीं होने तथा मौके पर कब्जाकाश्त नहीं होने पर भी जमाबंदी में नाम दर्ज होने मात्र के आधार बेचान, रजिस्ट्री द्वारा मिलकर व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। विद्वान अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तर्क का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड सहखातेदार दर्ज है और सहखातेदारों के विरुद्ध T.I. जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है और बिना बंटवारा विभाजन कराये सहखातेदार हिस्सा को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी सहखातेदार भूमि में किसी सहखातेदार हिस्सा में प्रवेश भी कर लिया तो भी ऐसे सहखातेदार हिस्सा के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया जा सकता है। ऐसा तर्क दिया कि प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण को भूमि पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही कोई हानि कारित हुई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उभय पक्षकारों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का सूक्ष्मता [illegible] का अवलोकन किया गया। ग्राम [illegible] जमाबंदी [illegible] 2024-25 [illegible] के अनुसार खसरा 337, 390, 397, 410, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 438, 564 किता 16 कुल रकबा 28-11 बीघा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय मय प्रतिनिधित्व जब	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि मोती, केदूराम, नंदा, पिसरान मथुरालाल हिस्सा 1/3
ज्ञानचंद, पुत्र पिसरान हरलाल हिस्सा 1/3 व मन्ना
पिता मोतीलाल हिस्सा 1/3 खाते पृथक है वहीं
[illegible] मोतीलाल के तीनों पुत्रों
मथुरालाल (LRs), हरलाल व मन्ना के खाते दर्ज थे।
इस प्रकार कुल शामलाती भूमि में प्रत्येक पुत्र का
हिस्सा 1/3 यानी करीब 9-11 बीघा लिखित था।

प्रार्थिया द्वारा पेश रजि० विक्रय पत्र दिनांक
24/12/1968 से जाहिर है कि मथुरालाल के LRs
ने अपना हिस्सा बिना 5 (खसरा 380 रकबा 5 बीघा,
416 रकबा 1-08 बीघा, खसरा नं. 424 रकबा 0-13 बीघा,
खसरा 427 रकबा 1-05 बीघा, खसरा 428 - 0-07 बीघा)
कुल रकबा 9-15 बीघा का बैनामा लक्ष्मीनारायण,
कन्हैया पिसरान गोपी [illegible] को कर दिया था
इस बाबत भूमि में मथुरालाल के LRs केदूराम,
नंदा व मोती का कोई भूमि शेष नहीं बची
थी। इस बैनामा का नामान्तरण 502 दिनांक
04/6/1970 तस्दीक होकर क्रेतागण का नाम खातेदार
रिकार्ड में दर्ज हुआ। अब शेष बची भूमि
[illegible] 11 कुल रकबा 18-13 बीघा (2/3 हिस्सा)
मन्ना पिता मोतीलाल हिस्सा 1/2 व ज्ञानचंद, पुत्र
पिसरान हरलाल हिस्सा 1/2 शेष रहा [illegible]

वहीं तत्कालीन पटवारी [illegible]
कार्यवाही द्वारा तीन [illegible] गलती
की गई थी — (i) शामलाती खाते की गलती में
श्री केदूराम, नंदा, मोती पिसरान मथुरालाल हिस्सा 1/3

उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	खसरा 380, खसरा 416, खसरा 424, 428 व 427 के सम्पूर्ण रकबे (full area) का बेचान किया जिसे SRO पिपलोदा द्वारा पंजीकृत किया गया जबकि अपने दर्ज हिस्से 1/3 से अधिक का बेचान नही ~~कर सकते थे~~ (ii) दूसरी गंभीर गलती यह है कि ग्राम पंचायत व राजस्व कार्मिकों ने नामान्तरण 2 दिनांक 04/6/1970 के पूर्व रकबा पर ही नामान्तरण दर्ज कर अन्य सहखातेदारों – गणपत, पुरा पिसर हरलाल व मन्ना पिता गौरी का नाम भी हटा दिया था जबकि इन्होने तो अपने हिस्से का लक्ष्मीनारायण, कवंरिया पिता घीसा कुल्मी को बेचान नहीं किया था और (iii) एक मथुरालाल के LRs ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा किता 5 कुल रकबा 9-15 बीघा बेच (Sale) दिया था तो शेष बची भूमि किता 11 कुल रकबा 18-19 बीघा मे इनका नाम नही हटाया। इन कानूनी गलतियों के जमाबंदी संवत 2028-31 मे शेष भूमि किता 11 रकबा 18-19 बीघा मथुरालाल पिता हरलाल (LRs) हिस्सा 1/3, गणपत, पुरा हिस्सा 1/3 व मन्ना पिता गोरीलाल हिस्सा 1/3 यथावत रख दिया। इसी दौरान मथुरालाल (LRs) के हिस्से 1/3 के क्रेतागण लक्ष्मीनारायण, कंवरिया पिता घीसा कुल्मी ने पंच … दिनांक 25/08/1970 से अपनी … खसरा नं 417, 424, 427 व 428 किता 4 कुल रकबा 4-15 बीघा का बेचान गणपत, पुरा वल्द हरलाल को कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिया पर जिसका नामान्तरण सं. 4 दिनांक [illegible]/1990 दर्ज किया गया था लेकिन जमाबन्दी संवत् 2033-35, 2036-39, 2041-44 में दिखाई देता है। मेरे अपीलार्थी द्वारा पेश नकल रजिस्ट्री दिनांक 28/4/1981 से जाहिर है कि पूरा चन्द हरलाल, जिसका कुल भूमि किता 16 रकबा 28-19 बीघा और कुल हिस्सा 1/6 निहित था, ने खसरा 425 रकबा 2-04 बीघा, खसरा 426 रकबा 0-16 बीघा, खसरा 427 रकबा 3-05 बीघा व खसरा 428 रकबा 0-03 बीघा किता 4 कुल रकबा 6-08 बीघा का बैचान मूलचन्द, लालचन्द पिता गंगा को कर दिया था और SRO जिसने भी रजिस्ट्री भी कर दी जबकि पूरा पिता हरलाल का हिस्सा 1/6 के हिसाब से 4-06 बीघा से अधिक नहीं बनता था। इसी खातेदारी भूमि में से किसी खसरे के सम्पूर्ण रकबे का भी बैचान करना विधि विरुद्ध था। परिणामतः पूरा पिता हरलाल ने ना केवल अपने निहित हिस्से से ज्यादा भूमि का बैचान किया बल्कि सम्पूर्ण खसरों का भी बैचान कर दिया था। इस प्रकार [illegible] पूरा पिता हरलाल [illegible] कानूनी कार्य ही [illegible] की रजिस्ट्री दिनांक 28/4/1981 का नामान्तरण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज 7.	नम्बर अहकाम हुक्म में

दर्ज नहीं होने से वर्तमान जमाबंदी में भी पूरा पिता हरलाल हिस्सा 1/6 दर्ज है जो पूर्णतः विधिक सिद्धांतो व प्रावधानो के विरुद्ध साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम दोबड़ा की वादग्रस्त भूमि नन्दा, केशारीराम, मोती पिसरान मथुरालाल एवं पूरा पिता हरलाल का कोई भी हक व हिस्सा शेष नहीं रहने (No right and share exist now) से एवं प्रार्थीगण का ही हिस्सा शेष बचने से प्रकरण प्रथम दृष्टया (prima facie case) प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। (Mutation entries do not confer any title)

(ब) सुविधा का संतुलन :- पत्रावली पर उपलब्ध रज़ि० विक्रय पत्रों एवं राजस्व रिकार्डों से स्पष्ट है कि केसूराम, नंदा, मोती पिसरान मथुरालाल के साथ साथ ही पूरा पिता हरलाल द्वारा भी अपने हिस्से का बेचान किया जा चुका है लेकिन गलत नामान्तरण दर्ज होने या नामान्तरण दर्ज नहीं होने मात्र से अप्रार्थीगण व पूरा का नाम वर्तमान जमा[illegible] दर्ज है जबकि मौके [illegible] कब्जा [illegible] से ही प्रार्थीगण का चला [illegible] Hon'ble Supreme Court ने Balwant Singh & Anr V/s Daulat singh (1997)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	8.	

व Suraj Bhan v/s Financial Commissioner & ors (2007) 6 SCC 186 सहित अनेकों निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "Mutation entries do not confer any right, title or interest in favour of any person and the mutation entry in the revenue record is only for the fiscal purposes."

अधि० प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण व पूरा पिता हरलाल राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज होने मात्र का अनुचित लाभ उठाकर प्रार्थीगण के स्वामित्व (ownership) की भूमि का बेचान, दान, रहन आदि अन्तरण कर खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित रहने के साथ-साथ कब्जे से भी बेदखल होना पड़ेगा जबकि अधि० अप्रार्थीगण का कथन है कि वे रिकार्ड सहखातेदार है और अन्तरण करने के अधिकारी है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के बेचान (जर्ये रजिस्ट्री) के बाद ना तो टाईटल रखते है और ना ही मौके पर कब्जाकाश्त है अतः अप्रार्थीगण, वास्तविक मालिक नहीं होकर, प्रार्थीगण के पक्ष में ownership है। अतः यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को केवल जमाबंदी में नाम दर्ज [illegible] transfer कर खुर्द-बुर्द [illegible] khatedari rights and possession [illegible] होना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में [illegible]गण को इस प्रकरण में राहत (relief) देने से होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक... हुक्म... में...

वाले लाभ / फायदे की तुलना अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा बहुत कम होगी अर्थात प्रार्थीगण को स्थगन नहीं देने पर होने वाले नुकसान की तुलना अप्रार्थीगण को लाभ कम होगा।

कुल मिलाकर हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करने से प्रार्थीगण को अधिक लाभ या अप्रार्थीगण को न्यून (less) नुकसान होगा और निर्णय प्रभावी व निष्पक्ष अधिक होगा।

The primary aim of the balance of Convenience test is to protect the plaintiff's rights without imposing undue hardship on the defendent. It ensures that interim relief is granted in a manner that is fair and just, maintaining a delicate balance between the interest of both parties.

Key Consideration for application of the balance of Convenience test :- The Court evaluates whether the plaintiff's irreparable harm, preservation of parties rights, public interest, hardship to both parties etc while deciding the balance of Convenience.

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर हस्तगत प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:12 IST
Reason: SelfAttested

(स) अपूरणीय क्षति (irreparable loss) :- जमाबंदी में नाम दर्ज होने मात्र के आधार पर अप्रार्थीगण अपना सर्व हिस्सा को अन्तरण कर खुर्द बुर्द

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	10	
	करने पर आमादा होने से प्रार्थीगण को जयें शान्तिपूर्वक व विरासत में प्राप्त काश्त भूमि की कानूनी अधिकारों व कब्जे से वंचित होना पड़ेगा और ऐसा नुकसान कारित होने पर इसकी money से adequately compensate करना मुश्किल होगा अतः प्रार्थीगण को ऐसे (Severe and imminent damage) से अपूरणीय क्षति कारित होगी।	
	2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रा०पत्र धारा 212 RT Act r.w. O. 39 R 1&2 CPC स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण एवं पुत्र पिता हरलाल को तामीलनामा मुल्तवी इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम दोवडा तहसील रायपुर की आराजी खाता सं० 155 किता 5 रकबा 0.8220 हैक्टेयर एवं खाता सं० 156 किता 5 रकबा 2.3307 हैक्टेयर (नये सेटलमेंट के बाद जो भी नवीन खसरा नम्बरान बने हैं) के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। SRO रायपुर को भी पाबंद किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मुल्तवी के साथ संलग्न हो।	
	Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Kumar Meena Date: 2026.03.19 10:14:12 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner